भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3691
बुधवार, दिनांक **18** दिसम्बर, **2024** को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आन्ध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम</u>

3691. श्री केसिनेनी शिवनाथः
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की संस्थापना घटक के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा अपेक्षित है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत आज तक संस्थापित सौर पंपों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत स्वीकृत पीएम-कुसुम परियोजनाओं की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो इसके अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को पीएम-कुसुम के घटक-क को कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। पीएम-कुसुम के तहत स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृति और उपलब्धि अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

स्वीकृति के बाद, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को पूरा करने के लिए 24 महीने की अवधि दी जाती है और मामला-दर-मामला के आधार पर आवश्यकता आधारित विस्तार पर विचार किया जाता है।

(ग) पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के घटक-ख के अंतर्गत स्टैंडअलोन सौर पंपों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ङ) एआईएफ के तहत पीएम-कुसुम के घटक-क को शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दे दिया है और इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.09.2024 को अधिसूचित किया गया है।

अनुलग्नक-I

'आन्ध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत स्टैण्डअलोन सौर पंपों की स्थापना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृति एवं उपलब्धियां (दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक-ख (संख्या)	
		स्वीकृत	स्थापित
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	700	394
3	असम	4000	0
4	छत्तीसगढ़	10000	0
5	बिहार	0	0
6	गुजरात	12382	7705
7	गोवा	900	80
8	हरियाणा	197655	137594
9	हिमाचल प्रदेश	1270	685
10	जम्मू एवं कश्मीर	5000	1937
11	झारखंड	42985	23999
12	कर्नाटक	41360	1674
13	केरल	8	8
14	लद्दाख	1400	0
15	मध्य प्रदेश	59400	7325
16	महाराष्ट्र	505000	222933
17	मणिपुर	150	78
18	मेघालय	3035	96
19	मिजोरम	1700	40
20	नागालैंड	265	65
21	ओडिशा	16441	5478
22	पुडुचेरी	0	0
23	पंजाब	33000	12952
24	राजस्थान	162914	89245
25	तमिलनाडु	5200	3909
26	तेलंगाना	0	0
27	त्रिपुरा	10895	3537
28	उत्तर प्रदेश	110948	54117
29	उत्तराखंड	5685	473
30	पश्चिम बंगाल	0	0
31	अंडमान और निकोबार	34	0
	कुल	1232327	574324

अनुलग्नक-II

'आन्ध्र प्रदेश में पीएम-कुसुम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3691 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

एआईएफ कन्वर्जेंस के साथ पीएम-कुसुम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची
(दिनांक 06.11 2024 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	आवेदनों की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि (करोड़ रु. में)
हरियाणा	2	0.06
कर्नाटक	1	2.68
ओडिशा	12	3.45
पंजाब	1816	41.82
राजस्थान	9	0.21
तमिलनाडु	1	4.20
उत्तर प्रदेश	1	0.03
पश्चिम बंगाल	99	2.37
कुल	1941	54.82

*****